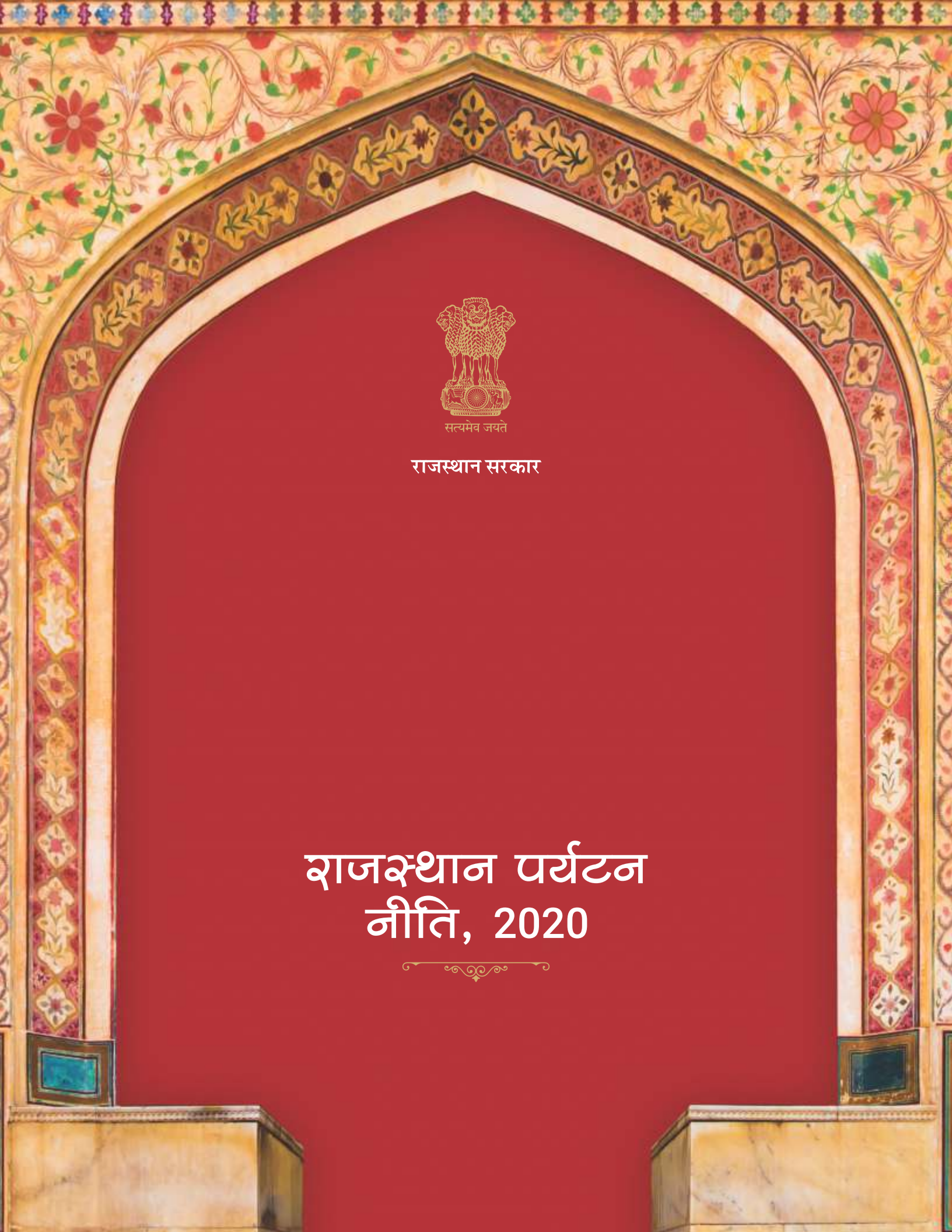

राजस्थान सरकार

राजस्थान पर्यटन नीति, 2020

राजस्थान सरकार

राजस्थान पर्यटन नीति, 2020

विषय सूची

1. परिचय

1.1	परिदृश्य	05
1.2	राजस्थान पर्यटन – नवाचार	05
1.3	नवीन पर्यटन नीति की आवश्यकता	05
1.4	राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 : दृष्टिकोण	06
1.5	राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 : उद्देश्य	06
1.6	राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 : नीति अवधि	06

2. उत्पाद अनुभव का संवर्धन : अनुभवात्मक पर्यटन

2.1	प्रतिष्ठित (Iconic) स्मारक एवं हैरिटेज क्षेत्र	07
2.2	विशेष हैरिटेज गांव/शिल्प गांव	07
2.3	अनुभवात्मक पर्यटन	07
2.3.1	मरूस्थलीय पर्यटन	07
2.3.2	साहसिक पर्यटन	08
2.3.3	वन्य जीव एवं पारिस्थितिकी पर्यटन	08
2.3.4	जनजातीय पर्यटन	09
2.3.5	सांस्कृतिक पर्यटन	09
2.3.6	शिल्प व व्यंजन आधारित पर्यटन	10
2.3.7	MICE पर्यटन	10
2.3.8	सप्ताहांत पर्यटन	10
2.3.9	धार्मिक पर्यटन	10
2.3.10	वैवाहिक पर्यटन	10

2.3.11 आरोग्य पर्यटन 11

2.3.12 जड़ों से जोड़ने का (Roots) पर्यटन 11

2.3.13 ग्रामीण पर्यटन 11

2.3.14 फिल्म पर्यटन 11

2.3.15 उभरती हुई प्रवृत्तियां 12

3. पर्यटन आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण 12

4. आवास 13

5. विशेष पर्यटन क्षेत्र की घोषणा 13

6. कौशल विकास 14

7. पर्यटक सहायता बल का सशक्तिकरण 15

8. पर्यटन स्टार्ट–अप्स 15

9. विपणन एवं ब्राण्डिंग

9.1 अन्तर्राष्ट्रीय विपणन 15

9.2 घरेलू विपणन 16

10. बाजार अनुसंधान 16

11. पर्यटन इकाइयों हेतु प्रोत्साहन 16

12. एकल खिड़की प्लेटफॉर्म 17

13. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकार्यता 17

14. नीति क्रियान्वयन 17

15. राज्य स्तरीय सलाहकार एवं कार्यकारी समिति 17

16. नीति क्रियान्वयन इकाई 18

1. परिचय (INTRODUCTION)

1.1 परिदृश्य (Overview)

पर्यटन उद्योग विश्व पटल पर सामाजिक–आर्थिक विकास के एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में उभरा है। विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद् (WTTC) की रिपोर्ट 2018 के अनुसार वर्तमान में यात्रा एवं पर्यटन उद्योग विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 10.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है और प्रत्येक दस में से एक रोज़गार इस क्षेत्र द्वारा समर्थित है।

विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद् (WTTC) की इकॉनोमिक इम्पेक्ट रिसर्च रिपोर्ट 2018 का अनुमान है कि आगामी वर्षों में भारत विश्व के सबसे तीव्र गति से वृद्धि करने वाली पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित होगा और वर्ष 2028 तक पर्यटन उद्योग अर्थव्यवस्था में लगभग 1 करोड़ नवीन रोज़गार उपलब्ध करवा सकता है।

1.2 राजस्थान पर्यटन–नवाचार (Rajasthan Tourism-Initiatives)

राजस्थान एक जीवंत प्रदेश है जो पर्यटन संसाधनों से सम्पन्न है। राजस्थान में न केवल विश्व का सबसे सुरम्य मरूस्थल है, अपितु संपूर्ण भूपटल पर विविध प्रकार के पर्यटन आकर्षण, अनुभव एवं उत्पाद फैले हुए हैं। राज्य की निर्मित विरासत,जो यहां के राजसी अतीत को प्रतिबिम्बित करती है, में अद्वितीय आग्रह और आकर्षण है, जो यहां के विशाल दुर्गों, महलों, मंदिरों एवं अन्य पुरा–सम्पदा में परिलक्षित होता है। इन सभी प्राकृतिक अनुकूलताओं के साथ राजस्थान अनेकानेक विशिष्ट पर्यटन उत्पादों को विकसित करने में अग्रणी रहा है, चाहे वह 1982 में शुरू की गई पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी हो या पुष्कर मेले जैसे उत्सव अनुभव का सृजन हो अथवा हैरिटेज सम्पत्तियों का पर्यटक स्थलों के रूप में पुनः उपयोग करना हो।

राज्य सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र को वर्ष 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया और तदन्तर इस क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश अनुदान योजना वर्ष 1993 से प्रारम्भ कर और भी राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराये गये।

इस क्षेत्र को तेजी से बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2001 में 'राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन' प्रारम्भ किया। इस मिशन से राज्य में पर्यटन विकास के एक नये युग का प्रारंभ हुआ। पर्यटन विकास को योजनाबद्ध एवं संकेन्द्रित रूप से विकसित करने के लिए राज्य द्वारा वर्ष 2001 में 'राजस्थान पर्यटन नीति' की घोषणा भी की गई। पूरे देश में राजस्थान इस प्रकार की नीति की घोषणा करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक था। यह नीति राज्य में पर्यटन उद्योग में निवेश आकर्षित करने एवं देशी–विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने में एक दिशा निर्देशक साबित हुई एवं तत्पश्चात् इसने होटल नीति–2006 एवं राजस्थान पर्यटन इकाई नीति–2007 एवं राजस्थान पर्यटन इकाई नीति–2015 (RTUP-2015) बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। इन नीतिगत नवाचारों के फलस्वरूप राज्य में देशी–विदेशी पर्यटकों की आवाजाही वर्ष 2001 में लगभग 84 लाख से बढ़कर 2018 में 5 करोड़ 20 लाख हो गई।

1.3 नवीन पर्यटन नीति की आवश्यकता (Need for a New Tourism Policy)

राजस्थान पर्यटन नीति 2001 की क्रियान्विति से कई नवाचारों के लिए मार्ग सुगम हुआ यथा पर्यटन विकास आधारभूत परियोजनाएं, नई पर्यटन इकाइयों और होटल परियोजनाओं के लिए कई प्रकार के वित्तीय अनुदान एवं करों में छूट, नवीन मेलों एवं उत्सवों की शुरुआत, सार्वजनिक–निजी साझेदारी की परियोजनाएं, आक्रामक विपणन अभियान आदि। वर्ष 2001–2019 की समयावधि में पर्यटन विभाग ने कई प्रतिष्ठित और प्रमुख पर्यटन पुरस्कार प्राप्त किये, जिसमें पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार (National Tourism

Award) भी सम्मिलित हैं। पर्यटन क्षेत्र की नित नई मांग एवं राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों से निपटने के लिए एक नवीन पर्यटन नीति की आवश्यकता महसूस की गई जिससे कि भविष्य में राज्य के पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। पर्यटन क्षेत्र के महत्व को पहचानते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 (RIPS) के तहत पर्यटन को अति–प्राथमिकता क्षेत्र (Thrust Area) का दर्जा प्रदान किया है।

1.4 राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 : दृष्टिकोण (Rajasthan Tourism Policy, 2020 : Vision)

राजस्थान को देशी व विदेशी पर्यटकों के मध्य एक पसंदीदा स्थल के रूप में पुनः स्थापित करते हुए पर्यटकों को उच्च स्तरीय अनुभव प्रदान किया जाये और उत्तरदायी एवं सतत नीतियों के माध्यम से प्रदेश की नैसर्गिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण सुनिश्चित किया जाये, साथ ही सामाजिक–आर्थिक विकास को और अधिक गति प्रदान करते हुए स्थानीय नागरिकों के लिए आजीविका के अवसरों को बेहतर किया जाये।

1.5 राजस्थान पर्यटन नीति 2020 : उद्देश्य (Rajasthan Tourism Policy, 2020 : Objectives)

अ. राजस्थान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अग्रणी पर्यटन ब्राण्ड के रूप में बढ़ावा देना।

ब. वर्तमान पर्यटन उत्पादों को सुदृढ़ और विविधतापूर्ण बनाना।

स. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित कम प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए नवीन पर्यटन उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराना।

द. पर्यटन स्थलों तक सड़क, रेल व हवाई सम्पर्क को बेहतर बनाना।

य. पर्यटक आवास सुविधाओं के बुनियादी ढांचे का विस्तार।

र. पर्यटक उत्पादों का व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार एवं विपणन करना।

ल. पर्यटन संबंधित कौशल विकास को सुगम कर लाभजनक स्वरोज़गार को सृजित करना।

व. प्रभावी अन्तर्विभागीय समन्वय को प्रोत्साहित करने हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित करना।

स. राज्य में निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

श. पर्यटकों, विशेषकर महिला पर्यटकों के लिए, एक सुरक्षित एवं निरापद वातावरण उपलब्ध कराना एवं पर्यटक शिकायत निराकरण व्यवस्था को सुधारना।

ह. पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु पर्यटन विभाग को उपयुक्त प्रशासनिक संरचना से सशक्त करना।

त्र. बेहतर नीति निर्माण एवं पूर्वानुमान हेतु बाजार अनुसंधान (Market Research) एवं सांख्यिकी ग्रिड डवलपमेंट फ्रेमवर्क को विकसित करना।

1.6 राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 : नीति अवधि (Rajasthan Tourism Policy, 2020 : Policy Period)

राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई अवधि तक अथवा अन्य नीति से प्रतिस्थापित किये जाने तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी।

2. उत्पाद अनुभव का संवर्धन : अनुभवात्मक पर्यटन (ENHANCING PRODUCT EXPERIENCE : EXPERIENTIAL TOURISM)

पर्यटन विभाग का यह प्रयास रहेगा कि वर्तमान में उपलब्ध पर्यटक उत्पादों का उन्नयन किये जाने के साथ–साथ बेहतर अनुभव के नवीन पर्यटन उत्पाद उपलब्ध करवाये जा सकें।

2.1 प्रतिष्ठित (Iconic) स्मारक एवं हैरिटेज क्षेत्र (Iconic Monuments and Heritage Areas)

विभाग राज्य के सातों प्रशासनिक संभागों में 2–3 प्रमुख स्मारकों/स्थलों का चयन करेगा। इन स्थलों पर टिकिटिंग, पर्यटक सुविधाएं, गाइड/ऑडियो गाइड, मोबाइल सैट/हैड गियर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों/रात्रि बाजारों में श्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाते हुए इन्हें समग्र आगन्तुक अनुभव देने वाले प्रतिष्ठित स्मारकों/स्थलों के रूप में विकसित किया जायेगा।

इन स्थलों का प्रबंधन वर्तमान में कार्यरत ज़िला पर्यटन विकास समितियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जायेगा ताकि इनके दिन–प्रतिदिन के कार्यों के लिए उपयुक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शिथिलता प्रदान की जा सके। ये समितियाँ इन स्थलों का प्रबन्धन सुनिश्चित करेंगी और अन्य विभागों के संसाधनों को संयोजित कर एक संसाधन पूल बनायेंगी।

2.2 विशेष हैरिटेज गांव/शिल्प गांव (Special Heritage Village/ Craft Village)

राजस्थान ऐसे अनेक गांवो से समृद्ध है जहां विख्यात हैरिटेज होटल अथवा हैरिटेज स्थल अवस्थित हैं या जहां पर कोई प्रसिद्ध कला अथवा शिल्प संबंधी कार्य किया जाता है। प्रत्येक ज़िले में एक गांव या गांवों के समूह को चिन्हित किया जाएगा एवं इन्हें 'विशेष हैरिटेज गांव या विशेष शिल्प गांव', जो भी उचित होगा, घोषित किया जायेगा। इन विशेष हैरिटेज एवं विशेष शिल्प गांवों के प्रचार के लिए एक दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा और इन स्थलों के उन्नयन के लिए विकास कार्य कराये जायेंगे। ज़िला पर्यटन विकास समिति को इन स्थलों के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी बनाया जाएगा।

2.3 अनुभवात्मक पर्यटन (Experiential Tourism)

नये 'अनुभवों' की बढ़ती मांग को देखते हुए वर्तमान में कई निजी हितधारकों के द्वारा रोमांचक तथा नवाचार आधारित आनुभविक पर्यटन उत्पाद उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिनके विपणन एवं संवर्धन हेतु राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। विभाग ऐसे सभी उत्पादों का डाटाबेस तैयार करेगा तथा इन पर ई–ब्रोशर प्रकाशित कर अपने वेब पोर्टल तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से इनसे संबंधित सूचना का प्रचार करेगा। विभाग ऐसे उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु दिशा निर्देश भी तैयार करेगा। इस नीति में उल्लेखित अति–प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत अनुभवात्मक पर्यटन के नये उत्पादों को प्रस्तुत करने वाले स्टार्ट–अप्स के लिये एक प्रोत्साहन योजना बनाई जायेगी।

2.3.1 मरूस्थलीय पर्यटन (Desert Tourism)

अ. राज्य में मरूस्थलीय क्षेत्र के पर्यटन प्रचार हेतु मरू साहसिक खेल, हॉर्स सफारी, जीप सफारी, कैमल सफारी व डैज़र्ट कैम्प को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जायेगा। इन सफारियों के सुरक्षित एवं निरापद संचालन हेतु एक नियामक ढांचा बनाया जायेगा। इस क्षेत्र में प्रवर्तकों के लिये एक प्रोत्साहन योजना लायी जायेगी।

ब. अनछुए क्षेत्रों में जहां सुन्दर रेतीले धोरों के सुदर्शन स्थल हैं जैसे सांभर, पुष्कर, नागौर, बीकानेर के आस–पास के क्षेत्र, उनको भी चिन्हित किया जाकर नवीन मरूस्थलीय गंतव्य स्थलों के रूप में विकसित किया जायेगा।

स. मरूस्थल फिल्म शूटिंग हेतु एक आकर्षक स्थल है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को इन स्थानों की ओर आकर्षित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना बनाई जायेगी।

2.3.2 साहसिक पर्यटन (Adventure Tourism)

अ. हवाई पर्यटन (Aero Tourism) (हॉट एयर बैलूनिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग आदि), जलीय पर्यटन (Aqua Tourism) (नौकायन, पैडल बोटिंग, मछली पकड़ना, जेट स्कीइंग आदि) एवं थल पर्यटन (ट्रैकिंग, शिला रोहण, रज्जु आरोहण, सफारी, क्वॉड बाइकिंग, ए.टी.वी., बर्डिंग आदि) एवं चम्बल नदी और बांसवाड़ा पश्च–जल (Backwaters) क्षेत्रों में क्रूज़ पर्यटन को विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा।

ब. राज्य में साहसिक गतिविधियों को बढ़ाने हेतु उपयुक्त प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी।

स. साहसिक गतिविधियों के लिए दिशा निर्देश विकसित करने, स्थलों को चिन्हित करने एवं स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए नागरिक उड्डयन, जल संसाधन विभाग, परिवहन विभाग, खेल विभाग, वन एवं पर्यावरण विभागों से समन्वय के लिए एक सुगम प्रकोष्ठ (Facilitation Cell) बनाया जायेगा।

द. साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में कौशल विकास यथा उपकरणों की तकनीकी जानकारी प्रदान करना, सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रक्रियाओं एवं पर्यटकों के साथ बुनियादी संवाद शिष्टाचार पर ध्यान दिया जायेगा।

य. इन सेवाओं में सुरक्षा एवं निरापदता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन तंत्र की स्थापना की जायेगी।

2.3.3 वन्यजीव एवं पारिस्थितिकी पर्यटन (Wildlife and Eco-Tourism)

अ. वन्यजीव एवं पारिस्थितिकी पर्यटन में बढ़ते रूझान के दृष्टिगत पर्यटन विभाग व वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से नवीन स्थलों को बढ़ावा दिया जायेगा।

ब. इन स्थलों के सतत् विकास एवं उन्नयन के उपाय सुझाने के लिए संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक संयुक्त प्रबन्धन समिति का गठन किया जायेगा। समिति इस उद्यम में ग़ैर–सरकारी संगठनों एवं पर्यावरण विशेषज्ञों को शामिल कर सकती है।

स. पारिस्थितिकीय/वन्यजीव क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त यातायात के साधनों का संचालन प्रोत्साहित किया जायेगा जिसके लिए उन्हें उचित अनुदान दिये जायेंगे।

द. पर्यावरण विभाग के समन्वय से होटल, रेस्टोरेन्ट तथा इसी प्रकार की पर्यटन संबंधी इकाइयों हेतु पारिस्थितिकी–प्रमाणन योजना बनाई जायेगी।

य. पारिस्थितिकी की पैरवी करने वाले प्रख्यात संगठनों की सहकार्यता से पर्यावरण जागरूकता कार्य शालाओं का आयोजन किया जायेगा।

र. जल संसाधन विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग/वन विभाग आदि के सुरम्य स्थलों पर बने अतिथि गृहों को इन विभागों की सहकार्यता से पारिस्थितिकी–पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की कार्य योजना बनायी जायेगी।

2.3.4 जनजातीय पर्यटन (Tribal Tourism)

राज्य के अनेक ज़िलों में अवस्थित जनजातीय क्षेत्र पर्यटन आकर्षणों जैसे कि मंदिरों, हैरिटेज स्थलों, दर्शनीय सौंदर्य व वन क्षेत्रों आदि से परिपूर्ण है।

आदिवासी लोगों की अपनी विशिष्ट जीवन शैली तथा चित्ताकर्षक परम्पराएं हैं। आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करने एवं इन स्थलों पर पर्यटकों के आगमन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त पर्यटकीय आधारभूत ढांचा एवं सुविधाओं का विकास किया जायेगा। इन स्थलों को चिन्हित कर जनजातीय उपयोजना व अन्य योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्य कराये जायेंगे, जिसके लिए एक कार्य योजना तैयार की जायेगी। पर्यटन विभाग जनजातीय क्षेत्रों के विपणन व प्रचार हेतु योजना तैयार करेगा।

2.3.5 सांस्कृतिक पर्यटन (Cultural Tourism)

अ. कार्यशील हैरिटेज होटल्स/हैरिटेज संपत्तियों का हैरिटेज प्रमाणन करने के लिए विद्यमान गाईड लाइन्स को संशोधित कर निवेशकों के लिए अनुकूल बनाया जायेगा।

ब. हैरिटेज स्थलों/स्मारकों को सांस्कृतिक केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए इन स्थलों पर विभागीय एवं राजकीय कार्यक्रमों/संध्याकालीन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने/आयोजित करने के प्रयास किये जायेंगे।

स. ग्रामीण क्षेत्रों में हैरिटेज होटलों को प्रदर्शन एवं दृश्य कलाओं के सांस्कृतिक उत्सवों के आयोजन स्थल के रूप में प्रोत्साहित किया जायेगा।

द. प्रदर्शन कलाओं की सांस्कृतिक परम्पराओं से समृद्ध गांवों को चिन्हित किया जायेगा और स्थानीय उत्सवों के गंतव्य स्थलों के रूप में प्रोत्साहित किया जायेगा।

य. हैरिटेज क्षेत्रों जैसे शेखावटी या ब्रज क्षेत्र में स्थित हवेलियों के संरक्षण के लिए परियोजना बनाने का कार्य किया जायेगा।

र. हैरिटेज व आरोग्य में सामन्जस्य स्थापित करने की योजना विकसित कर हैरिटेज होटलों को समग्र आरोग्य केन्द्रों (Holistic Wellness Centres) के रूप में प्रोत्साहित किया जायेगा।

ल. राज्य की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले निजी संग्रहालयों को प्रोत्साहित करने के लिए एक संग्रहालय अनुदान योजना लाई जायेगी।

व. विभाग द्वारा चुने हुए मेलों एवं त्योहारों पर ध्यान केन्द्रित कर उन्हें नये रूप में विकसित कर पर्यटकों के लिए और अधिक अनुकूल एवं रूचिकर बनाया जायेगा।

2.3.6 शिल्प व व्यंजन आधारित पर्यटन (Crafts & Cuisine Tourism)

अ. राज्य में शिल्प एवं व्यंजन पर्यटन की सुदृढ़ स्थिति का लाभ उठाते हुए सतत् आजीविका को प्रोत्साहित एवं स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किया जायेगा।

ब. राज्य की समृद्ध हस्तशिल्प परम्परा को प्रोत्साहित किया जायेगा और 'दिल्ली हाट' की तर्ज पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर में उद्योग विभाग के सहयोग से इनके सीधे विपणन हेतु मंच उपलब्ध कराया जायेगा।

स. कला व संस्कृति विभाग के सभी संग्रहालयों एवं विशेषकर जयपुर के विरासत संग्रहालय के माध्यम से लुप्त हो रही शिल्पकलाओं का प्रदर्शन किया जायेगा।

द. राज्य की व्यंजन कला को व्यंजन उत्सव (Food Festival) एवं रूचिकर व्यंजन ट्रेल विकसित कर प्रोत्साहित किया जायेगा। मसाला चौक, जयपुर के समान राज्य के अन्य शहरों में भी ऐसे प्रयोग किये जायेंगे।

2.3.7 MICE पर्यटन (MICE Tourism)

अ. विभाग द्वारा MICE पर्यटन के स्थलों को चिन्हित, श्रेणीबद्ध एवं सूचीबद्ध किया जायेगा। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के कन्वेंशन सेंटर्स बनाने वाले निवेशकों के लिए स्वीकृतियों की सुविधा हेतु एक प्रकोष्ठ बनाया जायेगा।

ब. वे निवेशक जो 2 लाख वर्ग फीट से अधिक कारपेट एरिया में एकीकृत MICE सुविधाओं जिसमें कन्वेंशन सेंटर, प्रदर्शनी कक्ष, होटल सम्मिलित हों, बनाने के इच्छुक हैं, उनको स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जायेगी।

स. वे पर्यटन इकाइयां जो MICE गतिविधियों में संलग्न हैं, उन्हें राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों व ट्रैवल मार्ट्स में राजस्थान पर्यटन के पैविलियन में रियायती दरों पर टेबल स्थान उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिए विभाग द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

2.3.8 सप्ताहांत पर्यटन (Weekend Getaway Tourism)

अ. राजस्थान को देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं गुजरात की समीपता का लाभ प्राप्त है और इन क्षेत्रों से पहले से ही सप्ताहांत एवं अन्य दीर्घ अवकाशों के दौरान, यहाँ तक कि ग्रीष्मकाल में भी पर्यटकों के अन्तर्वाह का साक्षी है।

ब. पर्यटन विभाग अन्तर्राज्यीय सीमाओं के समीप स्थित 10–20 ऐसे स्थलों को चिन्हित कर उनका सभी मीडिया मंचों से आक्रामक विपणन व प्रचार–प्रसार करेगा।

स. ऐसे स्थलों की आधारभूत कमियों को दूर करने हेतु आधारभूत संरचना गैप अध्ययन किया जायेगा तथा उनके सड़क सम्पर्क मार्गों को बेहतर बनाने व अंतिम सिरे तक जोड़ने के विशेष प्रयास किये जायेंगे।

2.3.9 धार्मिक पर्यटन (Religious Tourism)

अ. देवस्थान विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभागों के साथ समन्वय कर धार्मिक पर्यटन सर्किट्स को चिन्हित किया जायेगा तथा इन स्थलों की आधारभूत संरचना एवं आवासीय सुविधाओं के उन्नयन हेतु एक मास्टर प्लान बनाया जायेगा।

ब. प्रत्येक ज़िले के धार्मिक स्थानों के आस–पास स्वच्छता तथा स्वास्थ्य–रक्षा को बनाये रखने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ विचार–विमर्श कर स्थानीय समितियां बनाई जाएंगी। इन्हें आदर्श धार्मिक टाउन बनाया जायेगा।

2.3.10 वैवाहिक पर्यटन (Wedding Tourism)

अ. वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजकों व इवेंट प्रबन्धन फर्मों की सुविधा के लिए वैवाहिक स्थलों को चिन्हित, श्रेणी बद्ध कर इनका सूचीकरण किया जायेगा।

ब. सरकार के स्वामित्वाधीन हैरिटेज संपत्तियों तथा उद्यानों को आयोजन स्थलों के रूप में चिन्हित करने हेतु दिशा–निर्देश बनाये जायेंगे।

स. नवीन वैवाहिक स्थलों को प्रचारित करने हेतु प्रोत्साहन योजना लायी जायेगी।

2.3.11 आरोग्य पर्यटन (Wellness Tourism)

अ. प्रमुख पर्यटन उद्योग रोड शो में सम्मिलित होकर राजस्थान को 'विश्राम एवं स्वास्थ्य लाभ' ब्राण्ड के रूप में प्रचारित किया जायेगा।

ब. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा आयुर्वेद विभाग के साथ विचार–विमर्श कर अस्पतालों तथा आयुर्वेद केन्द्रों को श्रेणीबद्ध कर, उनका सूचीकरण किया जायेगा।

स. फिज़ियोथैरेपी, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग और हर्बल उपचार उपलब्ध कराने वाले समग्र उपचार केन्द्रों को पर्यटन इकाई की परिभाषा में सम्मिलित कर विभाग द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा।

द. आध्यात्मिक/चिकित्सीय/आरोग्य पर्यटन पर आधारित कार्यक्रमों की संकल्पना कर उनको बढ़ावा दिया जायेगा।

2.3.12 जड़ो से जोड़ने का पर्यटन (Roots Tourism)

अ. राजस्थान मूल के लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ने के लिए भारत और विदेशों में 'राजस्थान कॉलिंग' कार्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा।

ब. अप्रवासी राजस्थानियों को अपने मूल स्थान की बारम्बार यात्रा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विशेष यात्रा–पैकेज बनाये जायेंगे।

स. वे अप्रवासी राजस्थानी जिनके पास पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उपयोगी परिसंपत्तियां हैं, उन्हें इन परिसंपत्तियों को पर्यटकीय उपयोग में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा जिसके लिए पर्यटन विभाग एक योजना बनायेगा।

2.3.13 ग्रामीण पर्यटन (Rural Tourism)

अ. ऐसे गांव जो विशिष्ट हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य, कला, व्यंजन, ग्रामीण जीवन शैली में संलग्न हैं या विशिष्ट पारिस्थितिकीय महत्व रखते हैं या विशिष्ट कृषिगत गतिविधियों आदि में संलग्न हैं, उन्हें चिन्हित किया जाएगा व अनुभवात्मक पर्यटन केन्द्र के रूप में घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में इनका वृहद् स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

ब. एक पर्यटन विकास कोष बनाया जाकर चिन्हित गांवों की ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास में सहयोग हेतु कोष का उपयोग किया जायेगा। संबंधित विभागों के सहयोग से पर्यटकीय आधारभूत संरचना यथा सम्पर्क सड़क, मार्गस्थ सुविधाएं, निर्देश–पट्ट, पर्यटक आवास सुविधाएं जिनमें होम–स्टे शामिल हैं, शौचालय, पेयजल, सुरक्षा, विद्युत आपूर्ति, इंटरनेट सम्पर्क आदि का विकास किया जायेगा।

स. ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनायें यथा होम–स्टे, कारवां (Caravan) पार्क, ईको पार्क आदि को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना बनाई जायेगी।

द. ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं द्वारा पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रारम्भ करने हेतु कौशल विकास के कार्यक्रम बनाये जायेंगे जो सामुदायिक सहभागिता तथा स्वरोज़गार को प्रोत्साहित करेंगे।

2.3.14 फिल्म पर्यटन (Film Tourism)

अ. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, 2019 के तहत परियोजना प्रोत्साहक को फिल्म सिटी स्थापना के लिए अनुकूलित पैकेज प्रस्तावित किया जायेगा।

ब. एक फिल्म पर्यटन प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी जिससे कि सभी आवश्यक अनुमोदन आवेदन करने के 15 दिवस में उपलब्ध कराये जा सकें। सभी जिला स्तरीय स्वीकृतियां इस प्रकोष्ठ द्वारा सुगम कराई जायेंगी।

स. राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्मारकों पर फिल्म शूटिंग को सभी शुल्कों व प्रभारों से छूट प्रदान की जायेगी।

द. राजस्थान में फिल्मांकित होने वाली किसी भी फिल्म की कुल निर्माण लागत का 15 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जायेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक योजना बनाई जायेगी।

2.3.15 उभरती हुई प्रवृत्तियाँ (Emerging Trends)

अ. पर्यटन क्षेत्र सतत् विकासशील है तथा इस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं की सृजनात्मकता नये–नये पर्यटन उत्पादों का पथ प्रशस्त करती है। ये नवीन उत्पाद राज्य में पर्यटक आगमन में वृद्धि के अनेक अवसर उपलब्ध कराते हैं।

ब. ऐसी उभरती हुई प्रवृत्तियों को चिन्हित करने तथा उनका लाभ उठाने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए और इन उभरती हुई गतिविधियों के लिए वातावरण निर्माण करने तथा इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विभाग में एक टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा।

3. पर्यटन आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण (STRENGTHENING TOURISM INFRASTRUCTURE)

3.1 प्रत्येक सर्किट की आधारभूत संरचना में कमियों का आंकलन करने के लिए एक क्षेत्र आधारित/सर्किट आधारित पर्यटन मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा। इस आंकलन के आधार पर बजटीय सहायता अथवा सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे।

3.2 पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता और स्वास्थ्यकारिता के विकास के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान और विभिन्न स्मारकों, वन्य जीव उद्यानों एवं अन्य दूसरे पर्यटन स्थलों के लिए मानक स्वच्छता मापदण्ड विकसित किये जायेंगे। पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकारिता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया जायेगा। हैरिटेज स्थलों के लिए 'स्वच्छ स्मारक' योजना आरंभ की जायेगी।

3.3 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष योग्यजन की पहुंच सुगम बनाने के लिए भौतिक आधारभूत सुविधाएं यथा वॉक–वे, रैंप, एलीवेटर्स, शौचालयों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

3.4 पर्यटन स्थलों परमार्गस्थ सुविधाएं जैसे स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, कैफेटेरिया, स्मारिका दुकानें (Souvenir shops) आदि सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति पर विकसित और संधारित की जायेंगी।

3.5 सार्वजनिक निर्माण विभाग पर्यटक स्थलों के लिए अंतिम छोर तक सम्पर्क मार्ग सुनिश्चित करेगा। सड़कों हेतु आयोजना बजट का 1 प्रतिशत पर्यटक स्थलों तक सम्पर्क सड़क पर व्यय किया जायेगा।

3.6 पंचायती राज विभाग तथा स्थानीय निकाय विभाग के समन्वय से पर्यटक स्थलों की जल निकास व्यवस्था को सुधारने हेतु कदम उठाये जायेंगे। जहाँ भी आवश्यक होगा वहां मलजल उपचार संयंत्र (Sewage Treatment Plant) स्थापित किये जायेंगे।

3.7 पर्यावरण विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की सहकार्यता से पर्यटन विभाग प्रत्येक जिले में 'हरित गंतव्य स्थलों' (Green Destinations) को पर्यावरणीय सजग एवं प्रदूषण मुक्त ज़ोन के रूप में नामित करेगा।

3.8 पर्यटकों की सुविधा के लिए उपयुक्त स्थलों पर पूर्व–भुगतान (Pre-paid) टैक्सी बूथ बनाये जायेंगे और उनका संचालन सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति पर किया जायेगा।

3.9 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के अन्तर्गत आयोजना बजट का 5 प्रतिशत पर्यटन संबंधित परियोजनाओं पर व्यय किया जायेगा।

3.10 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी (CSR) के अन्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए पर्यटन परियोजनाओं का एक शेल्फ (Shelf) तैयार किया जायेगा।

3.11 स्मारकों का संरक्षण एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य का पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग स्मारक–मित्रों (निजी हितधारी) के लिए उपयुक्त दिशा निर्देशों के साथ 'अडॉप्ट ए मोन्यूमेंट योजना'को अद्यतन करेगा।

3.12 पर्यटकों को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देश–पट्ट एवं प्रदर्श–पट्ट लगवाये जायेंगे। शहरी स्थानीय निकाय इस कार्य में सहभागी होंगे एवं इस हेतु बजटीय सहायता उपलब्ध करायेंगे। सभी प्रमुख स्मारकों तथा वन्यजीव उद्यानों में पर्यटकों के अनुकूल निर्वचन केन्द्र (Interpretation Centres) होंगे।

3.13 पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की सहभागिता से ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों तथा पर्यटक स्थलों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जायेगा।

4. आवास (ACCOMMODATION)

4.1 5 से 20 कमरों की उपलब्धता वाले प्रतिष्ठानों के प्रोत्साहन के लिए 'अतिथि गृह' योजना प्रारंभ की जायेगी। इसे राजस्थान पर्यटन इकाई नीति में परिभाषित किया जायेगा।

4.2 'होम स्टे' को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा इनके प्रचार, श्रेणीकरण व सूचीकरण की एक योजना बनायी जायेगी।

4.3 आवास उपलब्ध कराने वाली सभी पर्यटन इकाइयों यथा होटल, पेइंग गैस्ट हाउस और अन्य इकाइयों के वर्गीकरण करने के लिए एक योजना आरंभ की जायेगी।

4.4 यात्रा व्यवसाय की मांग के अनुकूल होटल कमरों व आवासीय इकाइयों में और वृद्धि के लिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 में समुचित संशोधन किया जायेगा।

4.5 विद्यमान होटलों की मान्यता एवं नियंत्रण हेतु नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग के नियमों में समुचित प्रावधान किये जायेंगे।

4.6 ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के संवर्धन के लिए अतिथि गृहएवं बजट होटलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन एवं ब्याज अनुदान योजना शुरू की जायेगी।

4.7 राजस्थान पर्यटन विकास निगम की संपत्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए नीतिगत निर्णय और उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे।

5. विशेष पर्यटन क्षेत्र की घोषणा (DECLARATION OF SPECIAL TOURISM ZONES)

5.1 राज्य में बढ़ते पर्यटक आगमन के फलस्वरूप अनेक नवीन स्थल प्रकाश में आये हैं एवं पर्यटन के उप उत्पाद लाभों के प्रति स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इसी प्रकार पर्यटन क्षेत्रों व उसके आस–पास के क्षेत्रों तथा हैरिटेज क्लस्टरों में वर्तमान आधारभूत संरचना पर क्षमता से अधिक भार होने के कारण एक समग्र योजना बनाकर पर्यटन स्थलों का प्रभावी प्रबन्धन आवश्यक हो गया है।

5.2 शहरी / पंचायत / स्थानीय निकायों / ग्रामीण क्षेत्रों के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर उनका सुनियोजित विकास एवं सशक्त ब्रांड बनाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5.3 संबंधित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में वर्तमान में विद्यमान जिला पर्यटन विकास समिति को और अधिक कार्यकारी शक्तियां प्रदान की जायेंगी। पर्यटन विभाग के समग्र पर्यवेक्षण में यह समिति विशेष पर्यटन क्षेत्र की प्रशासकीय व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगी। जहाँ कहीं भी यह क्षेत्र दो या दो से अधिक जिलों में अवस्थित होंगे वहां इस समिति की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त द्वारा की जायेगी।

5.4 पर्यटन के दृष्टिकोण से इन क्षेत्रों के पर्यटक संबंधी आधारभूत विकास, सड़कों, निर्माण नियंत्रण, निर्देश–पट्ट, सौंदर्यीकरण तथा संवर्धन और विपणन आदि में सुधार हेतु एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा। जिला पर्यटन विकास समिति इस मास्टर प्लान का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करेगी।

5.5 पर्यटन विभाग, जिला पर्यटन विकास समिति द्वारा चिन्हित पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्यों हेतु समन्वित संसाधन पुल बनाने के लिए संबंधित विभागों को उनके वित्तीय व भौतिक संसाधनों का योगदान करने के लिए समन्वय एवं आवश्यक निर्देश प्रदान करेगा।

5.6 पर्यटन विभाग में एक विशेष पर्यटन क्षेत्र प्रकोष्ठ सृजित किया जायेगा जो जिला पर्यटन विकास समितियों के द्वारा उठाये गये विषयों का परीक्षण कर उनका शीघ्र निष्पादन करेगा।

6. कौशल विकास (SKILL DEVELOPMENT)

6.1 पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार क्षेत्र में अनेकानेक रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। पर्यटन विभाग द्वारा युवाओं को इस बारे में जागरूक किया जायेगा।

6.2 विभाग द्वारा युवाओं, प्रशिक्षकों और उद्योग जगत में परस्पर संवाद व सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक ऑन लाइन पोर्टल प्रारम्भ किया जायेगा। यह पोर्टल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों हेतु एक मंच प्रदान करेगा।

6.3 राज्य के कौशल केन्द्रों में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विभाग द्वारा राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय (RISU) के सहयोग से एक मास्टर ट्रेनर्स अकादमी की स्थापना की जायेगी। पर्यटन और आतिथ्य सत्कार से संबंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को पर्यटन विभाग प्रोत्साहित करेगा।

6.4 सभी राज्य होटल प्रबन्धन संस्थानों के पर्यवेक्षण हेतु एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जायेगी जो संस्थानों, सरकार तथा पर्यटन उद्योग के मध्य सहक्रियता रखेगी।

6.5 आतिथ्य–सत्कार कौशल क्षेत्र में कार्यरत श्रेष्ठ प्रशिक्षण केन्द्रों तथा श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों के लिए वार्षिक पुरस्कार शुरू किए जायेंगे।

6.6 विभाग एक विशेषज्ञ पैनल का गठन करेगा जिसमें राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय (RISU), SIHMs, FCIs, होटल, पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधि और क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। यह पैनल प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षकों के मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए मानदण्ड आधार निर्धारित करेगा।

6.7 विभाग RISU/पर्यटन और होटल प्रबन्धन पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के माध्यम से गाइड प्रशिक्षण और रिफ्रेशर पाठ्यक्रम आयोजित करेगा। विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान इन कार्यक्रमों के माध्यम से नियमित रूप से गाइडों को प्रशिक्षित करेंगे।

7. पर्यटक सहायता बल का सशक्तीकरण (STRENGTHENING OF TOURIST ASSISTANCE FORCE)

7.1 पर्यटक सहायता बल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण एवं नियमन) अधिनियम 2010 और इसके नियमों मे समुचित संशोधन किये जायेंगे जिससे कि इसे और अधिक कार्यकारी शक्तियां/पुलिस एक्ट के अन्तर्गत शक्तियां प्राप्त हो सकें।

7.2 पर्यटक सहायता बल की गतिविधियों, पर्यटन पुलिस तथा नियमित पुलिस थानों में तालमेल बनाने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

7.3 पर्यटक सहायता बल के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत और अधिक पर्यटक स्थलों को लाया जायेगा तथा राज्य में विभिन्न स्थानों पर तैनात पर्यटक सहायता बल की संख्या बढ़ायी जायेगी।

7.4 पर्यटक सहायता बल को पर्यटकों के प्रति संवेदनशील बनाने तथा उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाकर और अधिक कार्यकुशल व प्रभावी बनाया जायेगा।

7.5 पर्यटकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने, शिकायतों का समाधान प्राप्त करने एवं राज्य के पर्यटक स्थलों के संबंध में उनके प्रश्नों का समाधान करने के लिए एक सुरक्षा एवं सूचना ऐप बनाया जायेगा।

8. पर्यटन स्टार्ट-अप्स (TOURISM STARTUPS)

8.1 स्टार्ट–अप आंदोलन पर्यटन क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है। उद्यमिता को सुगम बनाने के लिए राज्य में स्टार्ट अप्स को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे:–

(i) विभिन्न विभागों से वांछित स्वीकृतियों और अनुमतियों के लिए स्व–प्रमाणन के प्रावधान किये जायेंगे जो कि पंजीकरण की दिनांक से 3 वर्ष के लिए मान्य होंगे।

(ii) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के लाभ सभी स्टार्ट–अप्स को भी दिये जायेंगे।

(iii) विभाग द्वारा प्रतिवर्ष एक 'राजस्थान स्टार्ट–अप ट्यूरिज्म कनेक्ट' कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिससे कि पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत स्टार्ट–अप्स को अपनी सेवाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हो सके और वे विभिन्न हितधारकों से जुड़ सकें। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यटन थीम पर एक हैकेथॉन कार्यक्रम भी आयोजित किया जायेगा।

9. विपणन एवं ब्राण्डिंग (MARKETING AND BRANDING)

9.1 अन्तर्राष्ट्रीय विपणन (International Marketing)

(i) अन्तर्राष्ट्रीय ब्रैन्डिंग के लिये अपनी मौजूदा नीति को पुनरोन्मुख कर (reorient) उभरते बाजारों और प्रवृत्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए विभाग व्यापार प्रदर्शनों (Trade Shows) में भाग लेगा और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, आउटडोर व अन्य उपयुक्त मीडिया में विज्ञापन जारी करेगा।

(ii) मिलेनियल पर्यटकों को राज्य में आकर्षित करने के लिए एक पृथक डिजिटल मीडिया नीति बनाई जायेगी।

(iii) राज्य में अवस्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के प्रचार–प्रसार के लिए विभाग द्वारा विशेष विपणन कार्यनीति बनाई जाऐगी, जिसमें जयपुर की वर्ल्ड हैरिटेज सिटी के रूप में ब्राण्डिंग भी सम्मिलित होगी।

(iv) घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनों में निजी संचालकों की भागीदारी को बढ़ाने हेतु एक नीति बनाई जायेगी।

(v) नये गंतव्य स्थलों की ब्राण्डिंग के लिये लेखकों एवं ब्लॉगर्स के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

(vi) पर्यटन विभाग द्वारा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले सभी रोड शो में भाग लेने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही विभाग प्रमुख स्रोत देशों में स्थित भारतीय दूतावासों से समन्वय कर स्वयं के ट्रेड शो आयोजित करेगा।

9.2 घरेलू विपणन (Domestic Marketing)

(i) घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एवं इस क्षेत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के साथ सामंजस्य हेतु एक विपणन नीति बनाई जायेगी।

(ii) प्रोत्साहन के लिये चयनित किये जाने वाले उत्पादों एवं गंतव्य स्थलों का निर्धारण उत्पादों एवं गंतव्य स्थलों की मांग के बाजार विश्लेषण पर आधारित होगा।

(iii) राज्य पुरातत्व एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों का विभाग द्वारा समुचित प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

(iv) भारत के प्रमुख शहरों में 'एन इवनिंग इन जयपुर' एवं 'वाइल्ड राजस्थान' जैसे थीम आधारित रोड शो आयोजित किये जायेंगे।

(v) पर्यटन विभाग एक संवादात्मक ऐप विकसित कर राज्य के गंतव्य स्थलों और वहां के अनुभवों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवायेगा।

(vi) राज्य के पर्यटन स्थलों का जिलेवार प्रलेखन एवं इनका श्रव्य–दृश्य (Audio-Visual) विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

10. बाजार अनुसंधान (MARKET RESEARCH)

10.1 पर्यटक सांख्यिकी को एकत्र करने की व्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार पुनर्निरूपित किया जायेगा। यह सूचना भविष्य की योजनाओं हेतु प्रयुक्त की जायेगी।

10.2 वर्तमान समय में डाटा संग्रहण एवं इसका विश्लेषण अत्यन्त परिष्कृत हो गया है, अतः विभाग इस गतिविधि को आउटसोर्स करने का प्रयास करेगा।

10.3 पर्यटन के क्षेत्र में रोज़गार, आय सृजन एवं प्रभाव आंकलन पर शोध अध्ययन किया जायेगा जिससे कि विभाग को नीति निर्माण में सहायता प्राप्त हो सके।

11. पर्यटन इकाइयों हेतु प्रोत्साहन (INCENTIVES FOR TOURISM UNITS)

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 में प्रदत्त सभी प्रकार के प्रोत्साहन एवं लाभ पूर्व के समान ही प्रभावी रहेंगे। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 के अन्तर्गत परिभाषित सभी पर्यटन इकाइयां राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के लाभ प्राप्त करते रहने हेतु पात्र होंगी।

12. एकल खिड़की प्लैटफॉर्म (SINGLE WINDOW PLATFORM)

12.1 विभाग में एकल खिड़की सुविधा आरम्भ की जायेगी जो पर्यटन विभाग तथा उद्योग विभाग की एकल खिड़की व्यवस्था को सहक्रिय करेगी। यह सुविधा सभी प्रकार की अनुमतियों/स्वीकृतियों/नवीनीकरणों के लिए एकल विराम अन्तराफलक (One-Stop Interface) के रूप में कार्य करेगी।

12.2 ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की वस्तु स्थिति उपलब्ध कराने तथा इनके समयबद्ध निस्तारण को सुगम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जायेगा।

12.3 यह सुविधा निवेश प्रस्तावों के साथ–साथ फिल्म शूटिंग की अनुमतियों को भी सुविधाकृत करेगी।

13. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकार्यता (INTERNATIONAL CO-OPERATION AND COLLABORATIONS)

13.1 प्रमुख विदेशी पर्यटन मण्डलों के साथ उनके देशों में प्रचलित सर्वोत्तम प्रक्रियाओं एंव ज्ञान के आदान–प्रदान हेतु सहमति–पत्र (MoUs) हस्ताक्षरित करने के प्रयास किये जायेंगे।

13.2 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों यथा UNWTO, WTTC, PATA एवं अन्य के साथ सहयोग स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे। विभाग इन मंचों पर राजस्थान पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए उनके सेमीनारों एवं सम्मेलनों में भाग लेगा।

13.3 SAARC, ASEAN, IBSA, BRICS व अन्य के अन्तर्गत कार्यरत बहुपक्षीय पर्यटन मंचों का राजस्थान के प्रचार के उद्देश्य से उपयोग करने के लिए राज्य सरकार पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से समन्वय करेगा।

13.4 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं विशेषकर वे जो राजस्थान में क्रियाशील हैं, के साथ राजस्थान पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए सहमति–पत्र (MoUs) हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

14. नीति क्रियान्वयन (IMPLEMENTATION OF THE POLICY)

यदि संबंधित विभागों को इस नीति के क्रियान्वयन हेतु कतिपय नियम/उप नियम एवं अधिसूचनाओं में संशोधन कराने की आवश्यकता है, तो उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जिन्हें केबिनेट द्वारा इस हेतु अधिकृत कर दिया गया है, से अनुमोदन प्राप्त कर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकती है।

15. राज्य स्तरीय सलाहकार एवं कार्यकारी समिति (STATE LEVEL ADVISORY AND EXECUTIVE COMMITTEE)

15.1 मुख्यमंत्री, राजस्थान की अध्यक्षता में एक राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा जो राज्य में पर्यटन विकास हेतु नीतिगत दिशा निर्देश प्रदान करेगी।

15.2 पर्यटन नीति की समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगाः

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

प्रभारी सचिव, वित्त विभाग

प्रभारी सचिव, आयोजना विभाग
प्रभारी सचिव, पर्यटन विभाग
प्रभारी सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग
प्रभारी सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
प्रभारी सचिव, उद्योग विभाग
प्रभारी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
प्रभारी सचिव, स्थानीय निकाय विभाग
प्रभारी सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
प्रभारी सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
प्रभारी सचिव, जल संसाधन विभाग
प्रभारी सचिव, परिवहन विभाग
प्रभारी सचिव, खेल एवं युवा मामले विभाग
प्रभारी सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
प्रभारी सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम
आयुक्त/निदेशक पर्यटन विभाग (सदस्य सचिव)

15.3 सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठकों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा आवश्यकता अनुरूप अन्य अधिकारियों/विशेषज्ञों को समिति के आवश्यक सहयोग हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा।

16. नीति क्रियान्वयन इकाई (POLICY IMPLEMENTATION UNIT)

इस पर्यटन नीति के क्रियान्वयन हेतु पर्यटन विभाग में एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया जायेगा। नोडल टीम के साथ एक समर्पित नीति क्रियान्वयन सुनिश्चित इकाई (PIU) स्थापित की जायेगी, जो इस नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी।

16.1 नीति क्रियान्वयन इकाई, हितधारकों को इस नीति के लाभ प्रदाय करने के लिए सहयोग प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होगी एवं उनसे प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु संबंधित प्राधिकारी को निर्देशित करेगी।

16.2 नीति क्रियान्वयन इकाई को स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक टीम के साथ समर्थित किया जा सकता है, जिससे कि नीति का ज़मीनी स्तर पर तीव्रता से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके, आवश्यकतानुसार अधिकारियों का क्षमता निर्माण किया जा सके एवं संबंधित हितधारकों को सहयोग प्रदान किया जा सके।

नोटः राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करणों में कोई भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण का प्रकाशन मान्य होगा।

राजस्थान
भारत का अतुल्य राज्य !

पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार

पर्यटन भवन, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने
एम. आई. रोड़, जयपुर, राजस्थान – 302001 | फोन– 91 141 2822100, 2822164

निःशुल्क